

आदेश की क्रम सं० और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1

2

न्यायालय, समाहर्ता, मधुबनी

सी०सी०ए० वाद संख्या-50/2021-22

बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत

सरकार

बनाम

भरत उर्फ भस्था

\*\*\*\*\*

पुलिस अधीक्षक, मधुबनी के पत्रांक 3582/सी.आर दिनांक-20.09.2021, द्वारा अपराधकर्मी भरत उर्फ भस्था, पिता- बनेल महतो, सा०-महराजगंज, थाना-नगर, जिला-मधुबनी के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत कार्रवाई करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

30-09-2021

प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तुत वाद का सृजन करते हुए अपराधकर्मी को धारा-3(1) के तहत अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक-23.09.2021 को नोटिस जारी किया गया। जिसके आलोक में प्रतिवादी दिनांक- 30.09.2021 को अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। अधिवक्ता द्वारा बिना साक्ष्य का कारण-पृच्छा समर्पित किया गया है। इसके आलोक में निर्धारित तिथि यथा 30.09.2021 को इनके वादों पर सुनवाई की गई।

अपराधकर्मी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई के दौरान तर्क दिया गया कि इनके पक्षकार अपने मुहल्ले तथा आस-पास के इलाको में गुण्डा अथवा दुर्दान्त अपराधी के रूप में नहीं जाना गया है। इनके पक्षकार एक सामान्यपरिवार के सदस्य हैं। इनके पक्षकार को किसी भी शराब की तस्करी नहीं की और बिना किसी ठोस आधार के शराब तस्करी के कुछ मामलों में एक षडयंत्र के तहत फंसा दिया गया है। इनके पक्षकार एक जिम्मेदार नागरिक है एवं कानून व्यवस्था में भरोसा रखने वाला व्यक्ति है एवं एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है। नगर थाना काण्ड सं०-270/19, 298/20, 144/21 एवं नगर थाना सनहा सं०-578/21 दिनांक 14.09.21 दर्ज है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा इनके पक्षकार को इस वाद से विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

सरकार के तरफ से विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि प्रतिपक्षी द्वारा अपने बचाव में कोई संगत साक्ष्य एवं कागजात माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, ताकि ये बात साबित हो सके कि ये अब आपराधिक कार्य में लिप्त नहीं हैं।

यदि पुलिस अधीक्षक, मधुबनी के द्वारा समर्पित प्रस्ताव एवं उसके साथ संलग्न कागजातों की चर्चा की जाए तो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर मधुबनी द्वारा अंकित किया गया है कि "असमाजिक तत्वों/ अपराधकर्मी भरत उर्फ भस्था के कुकृत्यों से नगर थाना क्षेत्र एवं इनके घर के आस-पास की जनता में इनका भय एवं आतंक व्याप्त है। ये अवैध शराब के कारोबार के कांडों में संलिप्त रहे हैं। वर्तमान में ये माननीय न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त है। जमानत पर मुक्त होने के बाद भी इनकी अपराधिक सक्रियता प्रकाश में आयी है। इनके द्वारा हाल-फिलहाल के दिनों में नगर थाना क्षेत्र के इलाको में अपने साथियों के साथ मिलकर आसन्न पंचायत चुनाव 2021 के दौरान गडबड़ी फैलाने के फिराक में है। इनके भय से मुहल्ला एवं आस-पास के लोग सामने आकर कोई

शिकायत करना नहीं चाहते हैं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर मधुबनी के द्वारा निम्नांकित कांडों को इनके बदर करने का आधार बतलाया गया है -

01. नगर थाना काण्ड संख्या-270/19 दिनांक 25.07.19 धारा 272/273 भा0द0वि0 एवं 30(ए)/36/41(1) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016।
02. नगर थाना काण्ड संख्या-298/20 दिनांक 06.12.20 धारा 272/273/414/420/467/468/471/120(बी)भा0द0वि एवं 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016।
03. नगर थाना काण्ड संख्या-144/21 दिनांक 07.05.21 धारा 272/273/34 भा0द0वि0 30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016।
04. नगर थाना सनहा संख्या-578/21 दिनांक 14.09.21 इस प्रकार से उपरोक्त के आधार पर मधुबनी जिला में अमन, चैन, शांति व्यवस्था एवं जन सामान्य की सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने हेतु उक्त अपराधकर्मी के विरुद्ध धारा-3 के तहत आदेश पारित करने की अनुशंसा की गई है।

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर मधुबनी के द्वारा समर्पित कागजातों की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अपराधकर्मी के विरुद्ध चार मामले दर्ज हैं। नगर थाना काण्ड सं0-270/19, 298/20, 144/21 एवं नगर थाना सनहा सं0-578/21 दिनांक 14.09.21 दर्ज हैं। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 02(डी0) के तहत उद्धरित "Anti Social element" की परिभाषा एवं भारतीय दंड विधान के Chapter XVII एवं Chapter XVI के अन्तर्गत परिभाषित हैं। अपराधकर्मी द्वारा अपने बचाव में कोई संगत साक्ष्य अथवा कागजात दाखिल नहीं किया गया है। जिससे प्रमाणित हो सके कि ये वर्तमान में स्वच्छ आचरण का जीवन व्यतीत कर रहे हो।

इस प्रकार से प्राप्त प्रस्ताव एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के आधार पर प्रतिवादी के अपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 2(डी)(1) के अंतर्गत ये "आसामाजिक तत्व" हैं तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य से समाज पर दुःप्रभाव पड़ेगा। ऐसे तथ्य उपलब्ध हैं जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त हैं या हो सकते हैं, भा.द.वि. 1861 के Chapter XVII एवं Chapter XVI के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है।

अतएव उल्लेखित तथ्यों के आधार पर अपराधकर्मी भरत उर्फ भरथा, पिता- बनेल महतो, सा0-महराजमांज, थाना-नगर, जिला-मधुबनी को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-3, उपधारा-3 के अंतर्गत मधुबनी जिला में आसन्न प्रचालित चुनाव 2021 को शांत एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने की प्रक्रिया पूर्ण (प्रचालित चुनाव के अंतिम चरण) होने तक के लिए जिला-मधुबनी को थाना बदर किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे आदेश प्राप्ति की तिथि से झंझारपुर थाना में प्रत्येक तिथि को सवेह उपस्थित होकर 10:00 बजे पूर्वा० से 11:00 बजे पूर्वा० तथा संध्या

05:00 बजे से 06:00 बजे के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। थानाध्यक्ष, झंझारपुर निदेश दिया जाता है कि वे थाना में इसके लिए एक अलग से उपस्थिति पंजी संधारित करेंगे एवं उसमें अपराधकर्मी भरत उर्फ भरथा, पिता- बनेल महतो, सा0-महाराजगंज, थाना-नगर, जिला-मधुबनी का नाम अंकित कर प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इसका साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को निरन्तर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति अपराधकर्मी भरत उर्फ भरथा, पिता- बनेल महतो, सा0-महाराजगंज, थाना-नगर, जिला-मधुबनी को तामिला कराने हेतु इसकी एक प्रति थानाध्यक्ष, नगर थाना को भेजे। साथ ही इस आदेश की प्रति थानाध्यक्ष, झंझारपुर थाना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे।

इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को भेजे, उनसे अनुरोध होगा कि इस आदेश से अपने अधिनस्थ सभी थानाध्यक्ष को अवगत करा देंगे।

इस आदेश की प्रति जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क, मधुबनी को भी आम जनता में प्रचार-प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति मधुबनी जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ हेतु आई.टी. मैनेजर को भेजे।

(लेखापित एवं सुशोधित)

जिला दण्डाधिकारी,  
मधुबनी

जिला दण्डाधिकारी,  
मधुबनी

ज्ञांपाक सं० 1112 / जि०वि०न्या०, मधुबनी दिनांक 21/10/21  
 प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, नगर को दो आदेश की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
 प्रतिलिपि :- एकप्रति अपराधकर्मी को तामिला करना सुनिश्चित किया जाय।  
 प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
 प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
 प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
 प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी  
जिला विधि शाखा,  
मधुबनी।